## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3556–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–9–2016 पारित द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त 3 सारसखेडी तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर प्रकरण कमांक 4/अ 70/2015–16.

1. रघुवीर पुत्र श्री नंदकुमार ब्राम्हण
   निवासी यादव कालौनी अशोकनगर
2. नंदकुमार पुत्र स्व0 श्री जोधाराम ब्राम्हण
3. हरवीर पुत्र श्री नंदकुमार ब्राम्हण
4. सुधीर पुत्र श्री नंदकुमार ब्राम्हण
5. श्रीनाथ पुत्र श्री नंदकुमार ब्राम्हण
   समस्त निवासीगण बोहरे कालोनी
   जिला अशोकनगर म0प्र0

------ आवेदकगण

विरूद्ध

1. मनोज कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
2. लक्ष्मीनरायण पुत्र श्री बद्रीप्रसाद
3. चन्द्रेश पुत्र श्री लक्ष्मीनरायण ब्राम्हण
   समस्त निवासीगण ग्राम धुर्रा तहसील
   ईसागढ जिला अशोकनगर म0प्र0

----- अनावेदकगण

.............

श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक आवेदकगण

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक अनावेदकगण

.............

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 2/8/2017 को पारित )

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के नायब तहसीलदार वृत्त 3 सारसखेडी तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर के आदेश दिनांक 30–9–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम धुर्रा के सर्वे कमांक 797/1 रकवा 2.159 पर आवेदकगण द्वारा अवैध कब्जा कर लेने से कब्जा हटाये जाने का आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदकगण को तलब किया। आवेदकगण द्वारा उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसे नायब तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 30–9–2016 से निरस्त की गई। नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है अनावेदकगण द्वारा ग्राम धुर्रा के सर्वे कमांक 797/1 रकवा 2.159 पर आवेदकगण द्वारा अवैध कब्जा हटाये जाने का आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर नायब तहसीलदार ने विधिवत आवेदकों को सूचना जारी की गई जहां आवेदकगण द्वारा उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की गई कि सीमांकन आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत कर दी गई है। नायब तहसीलदार ने उभय पक्ष को सुनवाई करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि राजस्व मण्डल से उक्त निगरानी में अभी स्थगन आदेश नहीं दिया है इसलिए आपत्ति स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। नायब तहसीलदार ने वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन नहीं होने से कार्यवाही को न रोककर जारी रखी है तथा प्रकरण साक्ष्य एवं पटवारी रिपोर्ट हेतु नियत किया। नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। नायब तहसीलदार वृत्त 3 सारसखेडी तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 30–9–2016 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर